सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 154 राँची, गुरुवार, 18 फाल्गुन, 1938 (श०)
9 मार्च, 2017 (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

संकल्प

13 फरवरी, 2017

विषय : **ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXI के तहत् 15-ग्रामीण पूल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 4736.25 लाख रुपये के ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में ।**

संख्या: अर्थोपाय (30)-09/2016/89/बजट-- राज्य में RIDF-XXI के तहत् 15-ग्रामीण पूल परियोजनाओं का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा किया जाना है, जिसके लिए नाबार्ड के पत्र संख्या-NB.JH.SPD/4096/RIDF-XXI-15 RB/155th PSC/2015-16 दिनांक 29 मार्च, 2016 द्वारा 4736.25 लाख की ऋण राशि स्वीकृत है । अतः मंत्रिपरिषद से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में निम्न शर्तों के साथ नाबार्ड से ऋण आहरण करने का निर्णय लिया जाता है :-

2. परियोजना की कुल लागत 5920.29 लाख रुपए है, जिसमें नाबार्ड से 4736.25 लाख रुपए एवं राज्य संसाधन का हिस्सा 1184.04 लाख रुपए शामिल है ।

3. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण राशि का आहरण यथा; अनुसूची-I, वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में किये जायेंगे ।

4. ऋण के सामान्य एवं विशेष शर्त्तें नाबार्ड के स्वीकृति पत्र में अंकित है । इसका अनुपालन ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा किया जायगा ।

5. नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण प्राप्त करने के लिए योजना का त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन प्रशासी विभाग द्वारा सांस्थिक वित्त प्रभाग, योजना-सह-वित्त विभाग के माध्यम से योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को समर्पित किया जायेगा, जिसके आधार पर नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण किया जायेगा। ऋण की मूल राशि एवं इसपर देय ब्याज राशि का भुगतान योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा की जायेगी, जिसके लिए वित्तीय बजट का प्रावधान किया जायेगा । योजना के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण राशि (4736.25 लाख) का 20% (अर्थात 947.25 लाख) Mobilization Advance लिए जायेंगे ।

6. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) NABARD RIDF से संचालित योजना का अपनी website पर प्रारम्भ से अद्यतन की स्थिति संधारित करेगा ।

7. चालू (on going) योजना की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), विभागीय website पर update करेगा ।

8. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) निर्माण गुणवत्ता का स्वतंत्र evaluator से भी monitoring करायेगा तथा विशेष ध्यान देगा एवं इसे भी website पर update करेगा ।

9. इन पूलों का रख-रखाव एवं भविष्य की मरम्मति हेतु Toll लगाकर राशि उगाही का सार्थक पहल ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) करेगा ।

10. संबंधित पूल अगर ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के स्वामित्व में नहीं हो तो संबंधित विभागों से स्वामित्व प्राप्त कर, Defect-Liability period के बाहर हो तथा नये Tender के अनुरूप इसका कठोरता से पालन किया जाय ।

11. यह संकल्प विभागीय संलेख 66/बजट दिनांक 25 जनवरी, 2017 पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2017 के मद सं०-16 के रूप में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 154--50